राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

A 15

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2017

1. गुरमीत कौर पत्नि प्यारासिंह जाति रायसिख निवासी 1 जे बड़ा खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. अरूडसिंह } पुत्रान करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 1 जे बड़ा खाटलबाना
2. बलजीतसिंह } तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राज कुमार नागपाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 24.06.2017

प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पास चक 1 जे बड़ा के खाता संख्या 79/78 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2 ता 10 की 9.00 बीघा किला नम्बर 11 में 10 बिस्वा कुल 9.10 बीघा रकबा खरीद शुद्धा है व कब्जा काश्त में है।

मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1 में से सरकारी मन्जूर शुद्धा रास्ता है जो मुरब्बा नम्बर 38 तक पहुचता है मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 में अपनी ढ़ाणी में जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 25 में से रास्ते की आवश्यक्ता है।

चक 1 जे बड़ा मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 25 में से रास्ता चालू है जिससे प्रार्थीया पिछले 15 वर्षो से आ जा रही है। मगर यह रास्ता मन्जूर शुद्धा नहीं है।

किला नम्बर 21 से 25 की आराजी जरिये डिक्री अप्रार्थीयान अरूड़सिंह व बलजीतसिंह के कब्जा काश्त में है जो इस वक्त प्रार्थीया को किला नम्बर 25 के रास्ता से आनें जानें में बाधा पैदा कर रहे है।

अगर प्रार्थीगण द्वारा यह रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीया व अन्य सदस्यों को गांव से अपनी ढ़ाणी में आनें जानें मं कठिनाई पैदा होगी और अपनें रकबा में काश्त करनें के लिये भी दिक्कत पैदा होगी क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता गांव से ढ़ाणी में आनें जानें हेतु नहीं है। इसलिये चक 1 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 25 में से 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीया अप्रार्थीयान से इस रास्ता को मन्जूर करवानें बाबत कई दफा कह चुकि है मगर अप्रार्थीयान टाल मटोल कर रहे है अब रास्ता बन्द करनें की फिराक में है इसलिये प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है।

अतः चक 1 जे बड़ा के खातासंख्या 79/78 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 25 में से 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खाट लबाना में आयोजित कैम्प कोर्ट में मौका रिपोर्ट प्रात्त की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के लिये भूमि राजस्व रिकार्ड में प्यारी बाई पत्नि भगवानसिंह बगैरा के नाम से गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा इकरारनामा के द्वारा भूमि क्रय किया जाना बताया प्रार्थी को नहर के किनारे–किनारे अपनें खेत में जानें को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

अप्रार्थी संख्या 2 की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि प्रार्थीया कि इकरारनामा से खरीद शुद्धा है, परन्तु उक्त भूमि की खातेदार नहीं है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया द्वारा जबाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया का भूमि का खातेदार होना आवश्यक नहीं है केवल मात्र टिनेन्ट होना आवश्यक है जो प्रार्थीया है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पेश किया जिसके अन्तर्गत प्यारी बाई पत्नि भगवानसिंह तथा प्यारासिंह पुत्र खजानसिंह को अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के रूप में प्रति स्थापित करनें हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का अध्यन्न किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी स्वयं भूमि का खातेदार नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होनें के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थन पत्रों को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीया भूमि की खातेदार नहीं है। मात्र इकरारनामा के आधार पर प्रार्थीया किसी भी खातेदार/गैर खातेदार की भूमि में रास्ते की मांग करनें का कोई अधिकार प्रार्थीया को प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया के पास मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रार्थी को नहर के किनारे–किनारे अपनें खेत में जानें को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का पोषणीय नहीं है।

– :: आदेश ::–

प्रार्थीया को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी मात्र इकरारनामें के आधार पर अन्य रास्ते की मांग करनें से कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का पोषणीय नहीं होनें से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)